






FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

बनाम कुलाय राम
 किम्प मुकदमा जुद्धा 21 स्या 21 विधि 0 नं. 94/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
21-8-24	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>28-10-24</u> को पेश हो। 
28-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>10-11-25</u> को पेश हो। 
10-1-25	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>25-3-25</u> को पेश हो। 
25.03.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाने का पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रार्थना का अरथाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने हेतु सहमति व्यक्त की। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फौसल शुमार बाद तकमील दाखिल दपतर हो।  

उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)